Open letter to Justice Arun Mishra, chairman, NHRC

https://www.nationalheraldindia.com/national/open-letter-to-justice-arun-mishra-chairman-nhrc

The National Human Rights Commission, alive to human rights violations in Opposition-ruled states, is yet to send a team to Manipur

The National Human Rights Commission (NHRC) is rarely in the news, although human rights violations are reported on social media every day and regularly enough in the mainstream media. It is hard to recall when the NHRC made a meaningful intervention and made a difference to the lives of ordinary Indians, though. An open letter (reproduced below) written by a disillusioned human rights activist makes claims that, if true, show what is wrong in the national commission headed by retired Supreme Court justice Arun Mishra.

To

The Chairperson,

National Human Rights Commission, India

Dear Justice Mishra,

As a citizen of India — and as one who has journeyed closely with the NHRC for a long time and served in the body's National Group on NGOs/HRD (human resource development) for two consecutive terms — let me express my deep sense of disappointment in the functioning of the National Human Rights Commission of India under your leadership.

The NHRC's indifference to human rights is, sadly, becoming clearer to even ordinary citizens.

Sir, under your watch, the National Human Rights Commission has had its 'accreditation' deferred for a year by the sub-committee of accreditation (SCA) of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) in March

One of the several reasons for this deferral was that the NHRC has not provided for the involvement of civil society organisations, in addition to a lack of pluralistic balance in its composition and its staff, ergo its failure to reflect the diversity of Indian society (including representation of, but not limited to, religious and ethnic minorities).

The NHRC's penchant for involving the police in its investigation of cases; its putting forward of a senior civil servant for the position of secretary general; its unwillingness to review laws related to civil liberties and fundamental rights, including the Foreign

Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA), the Citizenship (Amendment) Act, 2019, and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA); and its lack of constructive engagement and cooperation with civil society and human resource development groups are the other concerns raised by international bodies, to our discomfort.

The NHRC has lost much of its moral authority by not even condemning the extensive violence in Manipur, where officially more than 180 civilians have been killed, thousands have had to flee their homes, multiple women were sexually assaulted and/or killed. The reasons are not known, although the NHRC had a full commission meeting on 23 May—but the minutes of that meeting are yet to be shared.

It was a saving grace when the National Federation of Indian Women, led by persons of repute like Ms Aruna Roy and Ms Annie Raja, rushed to Manipur—but they had police cases and false criminal charges slapped on them. The Manipur government has now filed a police case against the three-member team of the Editors' Guild of India as well. The NHRC, however, is still silent.

It was only after the Supreme Court passed an order on 21 July, directing the Union government and the state government to act on the constitutional abuses, that the NHRC woke up from its deep slumber and issued a notice to the Manipur government on 25 July to stop the violence and human rights violations.

It was shocking to find that even the Supreme Court of India did not think of the NHRC as a credible and independent enough agency to be entrusted with any action that it proposed in Manipur. The NHRC could have appeared and intervened before the Supreme Court of India—but it did nothing.

The only time the NHRC, under your watch, shows any enthusiasm in investigating human rights violations is when they are reported from states ruled by the Opposition. In such cases, the NHRC ensures that it sends fact-finding teams, sometimes made up of newly inducted members and 'deemed' members.

The NHRC of India, under your watch, appears oblivious that it is meant to be an independent body and not an arm of the executive. It appears to be unaware of its extensive and impressive mandate. A majority of the human rights cases and grievances are being dismissed or referred to state bodies. You are no doubt aware of the poor enforcement of the NHRC's orders by police officials and district administrations.

Why, sir, is the NHRC found missing in action wherever ordinary Indians need it the most?

Where was the NHRC when hundreds of houses of people belonging to minority communities, particularly Muslims, were being illegally demolished in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Haryana? Where was the NHRC when the 84-year-old priest Father Stan Swamy died in judicial custody and was denied in jail the use of a sipper for his Parkinson-riddled trembling hands, given a disease that also makes swallowing difficult? Where is the NHRC when the 95 per cent disabled and wheelchair-bound Prof GN Saibaba is denied basic rights?

In Kashmir, at least 20 journalists were arrested between April and September 2022, often on criminal charges according to the International Press Institute's monitoring data. According to Human Rights Watch, at least 35 journalists have been arrested, detained, questioned, interrogated, raided or had draconian charges filed on them in connection with their work. Yet the NHRC has remained supremely indifferent.

Also Read: Manipur encounters: SC to hear NHRC's plea seeking release of officer from SIT on Mar 17

Under Section 12(d) of the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC has the statutory responsibility to review constitutional safeguards and laws and to recommend measures

for their effective implementation. But the NHRC has shown total apathy on laws which are against human rights, or are tyrannical or susceptible to abuse — be it the UAPA, misused extensively against human rights activists, students, professors and lawyers to put them in jail for long periods, without any charges; or the FCRA, which is used to control NGOs and human rights organisations; or amendments to the RTI Act that erode the independence of the information commissions.

Under Section 12(f), the mandate calls upon the NHRC to study and make recommendations for implementation of international human rights treaties. However, India remains one of the handful countries in the world which is yet to ratify the UN Convention Against Torture.

On Tuesday, 5 September 2023, the NHRC has called a meeting of 'select' civil society people, in a sly bid to show those who need to be shown that it does engage with ordinary citizens who work for human rights. It is widely seen as eyewash, meant to mislead the G20 delegates. There is, of course, not a single member from civil society or for that matter even a single woman member in the NHRC. Most of the human rights activists and organisations of India have rightly refused to take part in this agenda-less NHRC 'interactive meeting' with the chairperson of the NHRC.

The NHRC plans to host the Asia Pacific Forum's conference of national human rights institutions in New Delhi on 20–21 September, an event that is to be inaugurated by the

prime minister of India. Most of us think it is a cruel joke. We believe that the NHRC of India has lost all moral right to host this Asia–Pacific conference given its complete apathy to human rights violations in India even after its accreditation was deferred.

The truth is that the people of India no longer expect anything from the NHRC in its present form and structure. It has been tamed, to become a 'toothless tiger', to deliver partisan 'recommendations' in favour of the government and corporate houses.

Victims now shy away from filing complaints to the NHRC because they know they will get no redressal. Victims of police intimidation and abuse speak of the NHRC asking the very officers who tortured them to 'investigate' or 'report' on the

cases—and then finally closing the cases after the formalities of issuing a notice have been carried out.

Vacancies in the NHRC have been filled by intelligence officers, including persons drawn from the Research and Analysis Wing (RAW) deputed to the Commission. They even man the division dealing with complaints.

What justice then should we, the citizens expect from the NHRC, Justice Mishra?

History is unlikely to be kind to you, sir!

Sincerely yours,

A concerned Indian citizen

Open letter to Justice Arun Mishra, NHRC chairman iv News

https://irshivideos.com/open-letter-to-justice-arun-mishra-nhrc-chairman-iv-news/

Victims now avoid filing complaints with the NHRC because they know they will not get redress. Victims of police intimidation and abuse speak out about NHRC asking the very police officers who tortured them to ‘investigate’ or ‘report’

cases — and then closing the cases after the formalities for issuing a notice have been completed.

Vacancies in the NHRC have been filled by intelligence officers, including persons drawn from the Research and Analysis Wing (RAW) deputed to the Commission. They even man the department that deals with complaints.

So what justice should we the citizens expect from NHRC Justice Mishra?

History is unlikely to be kind to you, sir!

Mahatma Gandhi s great grandson moves Supreme Court over Uttar Pradesh teacher asking students to slap Muslim classmate

https://www.barandbench.com/news/mahatma-gandhis-great-grandson-moves-supreme-court-uttar-pradesh-teacher-students-slap-muslim-classmate

A bench of Justices Abhay S Oka and Pankaj Mithal will be hearing the matter which generated controversy after a video of the incident went viral on social media.

The Supreme Court will on Wednesday hear a petition raising grievance against the recent incident of a Muslim child in Uttar Pradesh's Muzaffarnagar being beaten by his classmates on instructions of a teacher who egged on the punishment.

A bench of Justices Abhay S Oka and Pankaj Mithal will be hearing the matter which generated controversy after a video of the incident went viral on social media.

The plea before the top court has been filed by Tushar Gandhi, great grandson of Mahatma Gandhi, through advocate Shadan Farasat.

The private school school in question in the district's Khubbapur village, has since been sealed.

The teacher, Tripta Tyagi, had referred to the boy’s faith and spoken pejoratively about Muslim children, while asking his classmates to beat him hard.

The National Commission for Protection of Child Rights had asked the Uttar Pradesh Police to lodge a first information report (FIR) against her. The child rights body had also sought responses from the concerned District Magistrate and Superintendent of Police.

The National Human Rights Commission (NHRC) had also taken suo motu cognisance of the incident and sought the response of the State of Uttar Pradesh and the Director General of Police of the State.

Tyagi has been booked under Ssections 323 (causing hurt) and 504 (intentional insult with intent to provoke breach of peace) of the Indian Penal Code as per the Indian Express.

She has, however, not been arrested yet.

Meanwhile, Tyagi released a video statement asserting that while she may have made a mistake, there is no communal angle to the incident.

As per an NDTV report, Tyagi said,

"I made a mistake, but there was no Hindu-Muslim motive. The children had not done their homework and my intention was to ensure that they memorise (the lessons) ... I could not get up, so I asked some children to slap him a couple of times so that he starts studying."

अपनी शक्तियां भूल एक सरकारी कागजी शेर बनकर रह गया है NHRC: जस्टिस अरुण मिश्रा के नाम खुला पत्र

https://www.navjivanindia.com/news/an-open-letter-to-nhrc-chief-justice-mishra-has-the-commission-forget-its-mandate

एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने एनएचआरसी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा को खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में बताया गया है कि आखिर आयोग कहां क्या गलत कर रहा है, और कैसे अपनी शक्तियां भूल चुका है।

सोशल मीडिया पर लगभग हर दिन और मुख्यधारा के मीडिया में नियमित रूप से मानवाधिकार उल्लंघन की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शायद ही कभी खबरों में नजर आता हो। वैसे मुश्किल से ही याद आता है कि मानवाधिकार आयोग ने कभी समय रहते या सार्थक रूप से किसी मामले में दखल दिया हो और उसका आम भारतीयों के जीवन पर कोई असर पड़ा हो। इसी संदर्भ में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने एनएचआरसी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा को खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में दावा किया गया है और बताया गया है कि आखिर आयोग कहां गलत कर रहा है:

सेवा में,

अध्यक्ष,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

प्रिय जस्टिस मिश्रा,

भारत के एक नागरिक के रूप में - और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने लंबे समय तक आयोग के साथ काम किया है, और लगातार दो कार्यकालों तक एनजीओ/एचआरडी (मानव संसाधन विकास) पर आयोग के राष्ट्रीय समूहों में सेवा की है, लेकिन मैं आपके नेतृत्व में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मौजूदा कार्यप्रणाली को लेकर बेहद निराश हूं। यह बेहद दुखद है कि मानवाधिकारों को लेकर आयोग की बेरुखी और उदासीनता अब आम नागरिकों से भी छिपी नहीं है, बल्कि और भी स्पष्ट होती जा रही है।

माननीय, आपके नेतृत्व में ही इस साल (मार्च 2023 में) , राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उस संस्था में अपनी मान्यता को दर्ज कराने को एक साल के लिए टाल दिया जोकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों के वैश्विक संगठन की मान्यता के लिए उप समिति है।

मान्यता को दर्ज न कराने के पीछे के कारणों में एक कारण यह भी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने कामकाज में नागरिक संगठनों को शामिल करने का कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया। इसके अलावा आयोग और इसके लिए काम करने वाले स्टाफ में बहुलतावादी संतुलन की कमी और भारतीय समाज की

विविधता को प्रतिबिंबित करने में आयोग की नाकामी (जिसमें धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी शामिल है) अन्य कारणों में से एक हैं।

केसों की जांच में पुलिस को शामिल करने की एनएचआरसी की रुचि; महासचिव के पद के लिए एक वरिष्ठ सिविल सर्वेंट को आगे करना, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए), नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) सहित नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों की समीक्षा करने में आयोग की अनिच्छा; और नागरिक समाज और मानव संसाधन विकास समूहों के साथ इसकी रचनात्मक भागीदारी और सहयोग की कमी जैसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अंतरराष्ट्रीय निकायों ने चिंता जताई है जो आयोग को लेकर हमारी बेचैनी का कारण हैं।

मणिपुर में हुई व्यापक हिंसा जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 180 नागरिकों की मौत हुई, हजारों लोग बेघर हो गए, कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न हुआ या उन्हें मार दिया गया, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इतने बड़े पैमाने पर हुई हिंसा की निंदा तक न करके अपना नैतिक अधिकार खो दिया है। आयोग ने 23 मई को आयोग की पूर्ण बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक के मिनट्स अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और इसका कोई कारण भी सामने नहीं है।

कुछ हद तक मणिपुर को लेकर शर्मिंदगी कम हुई जब नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमने की तरफ से अरुणा रॉय और एनी राजा मणिपुर पहुंचकर हालात का जायजा ले रह थीं, लेकिन उन पर पुलिस केस और आपराधिक आरोप लगा दिए गए। और, अब तो मणिपुर सरकार ने एडिटर्स गिल्ड की तीन सदस्यीय टीम पर ही पुलिस केस दर्ज करा दिया है। इतना सब होने पर पर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खामोश है।

जब सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई कि मणिपुर में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तभी मानवाधिकार आयोग नींद से जागा और उसने मणिपुर सरकार को 25 जुलाई को नोटिस जारी कर हिंसा रोकने और मानवाधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम का आग्रह किया।

यह बेहद अचंभे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने मानवाधिकार आयोग को विश्वसनीय और स्वतंत्र संस्था नहीं माना, कि उसे मणिपुर के लिए किसी भी प्रस्तावित कार्यवाही की जिम्मेदारी सौंपी जा सके। होना तो यह था कि सुप्रीम कोर्ट से पहले ही आयोग सामने आता और मणिपुर के मामले पर दखल देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया।

माननीय, आपके नेतृत्व में आयोग ने अगर कभी मानवाधिकार उल्लंघन के किसी मामले को लेकर उत्साह दिखाया है तो वह तभी हुआ है जब घटना किसी गैर-बीजेपी शासित राज्य में हुई हो। ऐसे मामलों में आयोग फैक्ट फाइंडिंग टीम भी भेजता है, और कभी-कभी तो आयोग के नए बने सदस्यों या ऐसे लोगों को टीम में भेजता है जिन्हें सदस्य मान लिया जाता है।

ऐसा लगता है कि आपकी अगुवाई में आयोग शायद यह भूल गया है कि वह एक स्वतंत्र संस्था है न कि सरकार की कोई शाखा। शायद आयोग खुद को हासिल विस्तृत और प्रभावशाली अधिकारों को भूल चुका

है। मानवाधिकार उल्लंन के अधिकांश मामलों और शिकायतों को या तो खारिज किया जा रहा है या फिर उन्हें सरकारी संस्थाओं को भेजा जा रहा है। आपको निश्चित रूप से जानकारी है कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पुलिस और जिला स्तर का प्रशासनिक अमला पालन नहीं करता है।

आखिर क्यों सर, आम भारतीयों को जब आयोग की सख्त जरूरत है, तो आयोग नजर क्यों नहीं आता?

जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुसलमानों के सैकड़ों घरों को अवैध रूप से ध्वस्त किया जा रहा था, तब एनएचआरसी कहां था? एनएचआरसी तब कहां था जब 84 वर्षीय पादरी फादर स्टेन स्वामी की न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गई थी और जेल में उनके पार्किंसंस रोग से पीड़ित कांपते हाथों को सिपर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई थी? जब 95 प्रतिशत विकलांग और व्हीलचेयर पर चलने वाले प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया तो एनएचआरसी कहां है?

इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार, कश्मीर में अप्रैल और सितंबर 2022 के बीच कम से कम 20 पत्रकारों को आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, कम से कम 35 पत्रकारों को उनके काम के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया/ हिरासत में लिया गया/ पूछताछ की गई, पूछताछ की गई/ छापेमारी की गई या उन पर कठोर आरोप लगाए गए। फिर भी एनएचआरसी बेहद उदासीन बना हुआ है।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (डी) के तहत, संवैधानिक सुरक्षा उपायों और कानूनों की समीक्षा करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करने की वैधानिक जिम्मेदारी आयोग की है। लेकिन एनएचआरसी ने उन कानूनों पर पूरी तरह से उदासीनता दिखाई है जो मानवाधिकारों के खिलाफ हैं, या अत्याचारी या दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील हैं - चाहे वह यूएपीए हो, जिसका मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, छात्रों, प्रोफेसरों और वकीलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया और उन्हें लंबे समय तक बिना आरोपों के ही जेल में डाल दिया गया। या फिर एफसीआरए, जिसका उपयोग एनजीओ और मानवाधिकार संगठनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है; या आरटीआई अधिनियम में संशोधन जो सूचना आयोगों की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है।

धारा 12(एफ) के तहत, आयोग को अधिकार हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का अध्ययन करे और उन्हें लागू करने की सिफारिश करे। हालाँकि, भारत दुनिया के उन मुट्ठी भर देशों में से एक है जिसने अभी तक अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुमोदन नहीं किया है।

मंगलवार, 5 सितंबर 2023 को, एनएचआरसी ने 'चुनिंदा' नागरिक समाज के लोगों की एक बैठक बुलाई है, ताकि उन लोगों को यह दिखाया जा सके कि यह मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले सामान्य नागरिकों के साथ जुड़ता है। इसे एक दिखावे से अधिक कुछ नहीं माना जा सकता, और इसका उद्देश्य जी-20 प्रतिनिधियों को गुमराह करना भर है। निःसंदेह, एनएचआरसी में नागरिक समाज से एक भी सदस्य या उस मामले में एक भी महिला सदस्य नहीं है। भारत के अधिकांश मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों ने

एनएचआरसी के अध्यक्ष के साथ इस एजेंडा-रहित एनएचआरसी 'इंटरैक्टिव मीटिंग' में भाग लेने से इनकार कर दिया है।

एनएचआरसी 20-21 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत फोरम के सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है। हममें से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह एक मजाक से अधिक कुछ नहीं है। हमारा मानना है कि भारत के एनएचआरसी ने इस एशिया-प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी करने का सभी नैतिक अधिकार खो दिया है, क्योंकि इसकी मान्यता स्थगित होने के बाद भी भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति यह पूरी तरह उदासीन बना हुआ है।

सच तो यह है कि भारत के लोगों को अब एनएचआरसी से उसके मौजूदा स्वरूप और ढांचे में कोई उम्मीद नहीं है। आयोग अब सिर्फ सरकार और कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में पक्षपातपूर्ण 'सिफारिशें' देने के लिए एक 'सरकारी कागजी शेर' बन कर रह गया है।

पीड़ित अब एनएचआरसी में शिकायत दर्ज करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कोई समाधान नहीं मिलेगा। पुलिस की धमकी और दुर्व्यवहार के शिकार लोगों का कहना है कि एनएचआरसी उनके मामलों की जांच उन्हीं अधिकारियों को सौंप देता है जिनके खिलाफ शिकायत की गई है, और फिर ऐसे मामलों में नोटिस जारी करने की औपचारिकता के बाद मामलों को बंद कर दिया।

एनएचआरसी में खाली पदों पर खुफिया अधिकारियों की तैनाती हो रही है, जिनमें आयोग में प्रतिनियुक्ति पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) से लिए गए व्यक्ति भी शामिल हैं। यह लोग शिकायतों से निपटने वाले प्रभाग को भी संभालते हैं। ऐसे में जस्टिस मिश्रा, हम नागरिकों को एनएचआरसी, से किस न्याय की उम्मीद करनी चाहिए?

इतिहास शायद ही आपके लिए मेहरबान होगा, सर!

भवदीय,

एक चिंतित भारतीय नागरिक

An open letter to Justice Arun Mishra, Chairman of the National Human Rights Commission GeoTv News

https://geotvnews.com/an-open-letter-to-justice-arun-mishra-chairman-of-the-national-human-rights-commission-geotv-news/

Victims are now ashamed to file complaints with the National Human Rights Commission because they know they will not receive any compensation. Victims of police intimidation and abuse speak of the NHRC asking the officers who tortured them to “investigate” or “report” the incident.

Cases – and then finally close the cases after implementing the notification issuance procedures.

Vacancies in the NHRC were filled by intelligence officers, including people drawn from the Research and Analysis Wing (RAW) seconded to the commission. They even run a department that handles complaints.

What justice should we citizens expect from the National Human Rights Commission, Justice Mishra?

It is unlikely that history will be kind to you, sir!

NAVODAYA TIMES, Online, 6.9.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला: NHRC ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया

https://www.navodayatimes.in/news/khabre/woman-paraded-naked-nhrc-issues-notice-to-rajasthan-government/225770/

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में एक गर्भवति महिला को उसके पति द्वारा कथित रूप से निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में राज्य सरकार और पुलिस विभाग को नोटिस भेजा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आयोग ने सोमवार को एक बयान में कहा कि वह महिला की स्वास्थ्य स्थिति के साथ-साथ इस बारे में भी जानना चाहता है कि प्रशासन ने उसे किसी प्रकार का मुआवजा दिया है या नहीं। सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ा वीडियो प्रसारित होने के बाद राजस्थान पुलिस ने कहा था कि प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में 21 वर्षीय एक आदिवासी महिला को उसके पति द्वारा कथित रूप से निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया है।

एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया है कि 31 अगस्त को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक गर्भवति महिला को उसके परिवार के सदस्यों ने कथित रूप से पीटा और उसे निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया। बताया जा रहा है कि महिला के ससुराल वाले उसके किसी और व्यक्ति के साथ रहने के कारण उससे नाराज थे।

आयोग ने कहा कि अगर मीडिया में प्रकाशित खबर सही पाई जाती है, तो यह पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मुद्दे को उठाती है। एनएचआरसी ने कहा कि तदानुसार राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

आयोग के अनुसार, रिपोर्ट में मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद जांच की स्थिति और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने को भी कहा गया है।

पारादीप के बीजेडी विधायक संबित ने महिला को दी गालियां

https://jantaserishta.com/local/odisha/paradeeps-bjd-mla-sambit-abused-the-woman-2780457

ओड़िशा: पारादीप से बीजू जनता दल (बीजद) के विधायक संबित राउत्रे एक बार फिर मुसीबत में पड़ गए हैं, क्योंकि सार्वजनिक रूप से एक महिला को कथित तौर पर गालियां देने के एक वायरल वीडियो के संबंध में उनके खिलाफ दो अलग-अलग पुलिस शिकायतें दर्ज की गई हैं।दो शिकायतें कंचन स्वैन, पीड़िता, जिनकी पहचान जगतसिंहपुर जिले के कुजंग ब्लॉक के अंतर्गत बागोई पंचायत की पूर्व बीजद महिला नेता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला मोर्चा के रूप में की गई है, द्वारा दर्ज की गई थी।

दोनों शिकायतों में विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर विधायक राउत्रे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी आंदोलन करेगी.भाजपा नेता संपाद स्वैन ने आरोप लगाया, "जिस तरह से उन्होंने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, हम उसकी निंदा करते हैं। न केवल राउट्रे, बल्कि बीजद के सभी नेता और कार्यकर्ता भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

"इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष भी उठाया गया है और विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।हालांकि, विधायक राउत्रे ने एक वीडियो संदेश में आरोपों से इनकार किया और कहा कि न तो महिला ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और न ही उन्होंने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया।उन्होंने कहा, "एक विशिष्ट राजनीतिक दल के कुछ सदस्यों ने इसे अन्यथा चित्रित किया है और अपने राजनीतिक इरादे से मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए उन्हें उकसाया है।"

राजस्थान की बड़ी खबरें, 5 सितंबर 2023: NHRC ने राजस्थान सरकार को भेजा नोटिस, भारत माता की जय के नारे लगाना अनुशासनहीनता-पर्यवेक्षक तिवाड़ी

https://www.timesnowhindi.com/cities/jaipur-news/aaj-ki-rajasthan-news-5-september-2023-rajasthan-mukhya-hindi-samachar-nhrc-send-notice-to-rajasthan-govt-article-103376542

Rajasthan News in Hindi, Rajasthan Ki Taaja Khabar (आज की राजस्थान की ताजा न्यूज लाइव, आज के राजस्थान समाचार) 5 सितंबर 2023: खबरों की इस कड़ी में आज हम आपको राजस्थान की बड़ी खबरें बताएंगे। ये है आज की ताजा खबर

राजसमंद से दर्दनाक मामला सामने आया है। भरतपुर के नगर निगम महंगाई राहत कैंप से भी एक मामला सामने आया है। वहीं, NHRC हीं ने राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा है। राजस्थान के सभी जिलों-लों कस्बों की सभी छोटी-बड़ी खबरें आप एक साथ इस जगह पढ़ पाएंगे। दिनभर आप इस पेज पर बने रहे और अपने इलाके की लेटेस्ट अपडेट जानते रहें। इन्हीं खबरों के साथ ही इन्हीं राज्यों के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैः राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने प्रतापगढ़ कांड को लेकर राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि आयोग ने चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। मामला 31 अगस्त को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक गर्भवती महिला को उसके पति व परिजनों ने निर्वस्त्र कर पिटाई की थी।

जयपुर में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लात-घूंसे तक चल गए। बताया जा रहा है क

यह घटना जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार को लेकर राय मशवरा के दौरान हुआ। प्रदेश में बीजली कटौती की मार आम आदमी के साथ-साथ इंडस्ट्री ज को भी झेलना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सप्ताह में दो दिन बिजली कटौती से 40 फीसदी उत्पादन घटा है। विधानसभा चुनाव में टिकट दावेदारों और कांग्रेस नेताओ की वन-टू- वन बैठक हुई, जिसमें किसी ने भारत माता की जय के नारे लगा दिए तो उसे पर्यवेक्षक तिवाड़ी ने अनुशासनहीनता बता दिया। उन्होंनेन्हों नेकहा यहां सिर्फ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगेंगे। राजसमंद से दर्दनाक मामला सामने आया है। आमेट जा रही सिटी बस और ट्रैक्टर की आपस में भिड़ंत हो गईं, जिसमें 14 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को आरके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भरतपुर के नगर निगम महंगाई राहत कैंप से एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां उचित व्यवस्था नहीं होने पर लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। यहां तक कि कंप्यूटर ऑपरेटर के केबिन के शीशे भी तोड़ दिए। करौली में बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंनेन्हों नेकहा कि कांग्रेस सनातन धर्म को नष्ट करना चाहती है। वहीं, हीं भाजपा सनातन धर्म की रक्षा करने में लगी हुई है। राजसमंद जिले की देसूरी नाल से भी भीषण मामला सामने आया है। श्रद्धालुओं से भरी बस के ब्रेक अचानक फेल होने से सामने जा रही ट्रेक्टर ट्रॉ ली से टकरा गई। इस भयानक हादसे में 24 श्रद्धालु घायल हो गए

NAVBHARAT, Online, 6.9.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC Notice रा जस्था न: महि ला को नि र्वस्त्र कर घुमा ने के मा मले में गहलो त सरका र और DGP को NHRC का नो टि स

https://www.enavabharat.com/india/rajasthan-nhrc-notice-issued-to-gehlot-government-and-dgp-in-case-of-making-a-woman-roam-naked-796440/

नयी दि ल्ली , रा ष्ट्री य मा नवा धि का र आयो ग (NHRC) ने रा जस्था न के प्रता पगढ़ जि ले के एक गां व में एक गर्भवति महि ला को उसके पति द्वा रा कथि त रूप से नि र्वस्त्र कर घुमा ने के मा मले में रा ज्य सरका र और पुलि स वि भा ग को नो टि स भेजा है। अधि का रि यों ने यह जा नका री दी । आयो ग न सो मवा र को एक बया न में कहा कि वह महि ला की स्वा स्थ्य स्थि ति के सा थ-सा थ इस बा रे में भी जा नना चा हता है कि प्रशा सन ने उसे कि सी प्रका र का मुआवजा दि या है या नहीं ।

सो शल मी डि या पर घटना से जुड़ा वी डि यो प्रसा रि त हो ने के बा द रा जस्था न पुलि स ने कहा था कि प्रतापगढ़ जि लेके एक गां व में 21 वर्षी य एक आदि वा सी महि ला को उसके पति द्वा रा कथि त रूप से नि र्वस्त्र कर घुमा ने का मा मला सा मने आया है। एनएचआरसी ने एक मी डि या रि पो र्ट पर स्वत: संज्ञा न लि या, जि समें कहा गया है कि 31 अगस्त को रा जस्था न के प्रता पगढ़ जि ले में एक गर्भवति महि ला को उसके परि वा र के सदस्यों ने कथि त रूप से पी टा और उसे नि र्वस्त्र कर गां व में घुमा या ।

बताया जा रहा है कि महि ला के ससुरा ल वा ले उसके कि सी और व्यक्ति के सा थ रहने के का रण उससे ना रा ज थे। आयो ग ने कहा कि अगर मी डि या में प्रका शि त खबर सही पा ई जा ती है, तो यह पी ड़ि ता के मा नवा धि का रों के उल्लंघन के गंभी र मुद्दे को उठा ती है। एनएचआरसी ने कहा कि तदा नुसा र रा जस्था न के मुख्य सचि व और पुलि स महा नि देशक (डी जी पी) को नो टि स जा री कर चा र सप्ता ह के भी तर एक वि स्तृत रि पो र्ट मां गी गई है। आयो ग के अनुसा र, रि पो र्ट में मा मले में प्रा थमि की दर्ज कि ए जा ने के बा द जां च की स्थि ति और अपरा धि यों के खि ला फ की गई का र्रवा ई की जा नका री देने को भी कहा गया है।(एजेंसी)

SWADESH, Lucknow, 6.9.2023
Page No. 12, Size:(1.94)cms X (5.99)cms.

एनएचआरसी ने गहलोत सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब

जयपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में एक गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में राज्य सरकार और पुलिस विभाग को नोटिस भेजा है। आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद जांच की स्थिति और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने को भी कहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान पुलिस ने कहा था कि प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में 21 वर्षीय एक आदिवासी महिला को उसके पति द्वारा निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया है। आयोग ने कहा है कि अगर मीडिया में प्रकाशित खबर सही पाई जाती है, तो यह पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मुद्दे को उठाती है। एनएचआरसी ने राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

IN SAMACHAR, Online, 6.9.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC ने प्रतापगढ़ जिले में एक गर्भवती महिला को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पीटने और गांवमें नग्न घुमाने की कथित घटना पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी

https://insamachar.com/nhrc-issues-notice-to-rajasthan-govt-on-alleged-incident-of-a-pregnant-woman-being-beaten-up-by-her-family-members-and-paraded-naked-in-village-in-pratapgarh-district/

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है, रिपोर्ट के अनुसार 31 अगस्त, 2023 को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक गर्भवती महिला को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर पीटा गया और गांव में नग्न घुमाया गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो यह पीड़ित के मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दाहै। तदनुसार, आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट में अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद की जा रही जांच की स्थिति भी शामिल होनी चाहिए। आयोग पीड़ित महिला की स्वास्थ्य स्थिति और प्रशासन द्वारा उसे प्रदान किए गए मुआवजे, यदि कोई हो, के बारे में भी जानना चाहेगा।

2 सितंबर, 2023 की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महिला एक व्यक्ति के साथ पास के गांव में गई थी, जहां से उसके परिवार के सदस्य उसे वापस ले आए और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। कथित तौर पर पीड़ित महिला मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन लोगों ने मदद के लिए आगे आने के बजाय उसका वीडियो बनाना बेहतर समझा।

Woman stripped, paraded in Rajasthan: NHRC notice to govt, DGP

https://www.deccanherald.com/india/rajasthan/woman-stripped-paraded-in-rajasthan-nhrc-notice-to-govt-dgp-2673141

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise serious issues of the violation of human rights of the victim. Accordingly, it has issued notices to the chief secretary and the Director General of Police, Rajasthan, seeking a detailed report within four weeks, it said.

The National Human Rights Commission has sent a notice to the Rajasthan government and the state's police chief over a pregnant woman being allegedly stripped naked and paraded in a village in Pratapgarh district by her husband, officials said.

The Commission in a statement on Monday also said that it would like to know about the health status of the woman and compensation, if any, provided to her by the administration.

The 21-year-old tribal woman was allegedly stripped naked and paraded in a village in Pratapgarh district by her husband, police earlier said after a video of the incident surfaced online.

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken 'suo motu cognisance of a media report that a pregnant woman was allegedly beaten up and paraded naked in the village by her family members in Pratapgarh district of Rajasthan on August 31'.

Reportedly, a video of the incident also went viral on social media, it said. The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise serious issues of the violation of human rights of the victim. Accordingly, it has issued notices to the chief secretary and the Director General of Police, Rajasthan, seeking a detailed report within four weeks, it said.

The report should also include the action taken against the perpetrators and the status of the investigation being conducted after registration of FIR in the matter, the rights panel said.According to the media report, carried on September, 2, the woman had gone with a man to a nearby village from where her family members brought her back and subjected her to inhuman treatment. The victim woman reportedly kept begging for help, but people chose to make videos of her instead of coming forward for help, it said.

DAINIK TRIBUNE, Delhi, 6.9.2023
Page No. 10, Size:(21.87)cms X (30.94)cms.

'4 सीवरमैन के परिजनों को नौकरी और 25-25 लाख देगा अस्पताल'

फरीदाबाद, 5 सितंबर (हप्र)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फरीदाबाद सेक्टर-16 के क्यूआरजी अस्पताल में पांच अक्तूबर, 2022 को सीवर की सफाई करने पर मारे गए चार सीवरमैन के परिजन को एक-एक नौकरी व 25-25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को इस आदेश की प्रति भेजी है जिसमें कहा गया है कि इस आदेश का अनुपालन करवाने के लिए मुख्य सचिव व जिला उपायुक्त को भी निर्देशित किया गया है। आयोग ने 28 दिसंबर, 2022 को इस मामले में किए गए एक्शन की रिपोर्ट मांगी थी। तीन जुलाई 2023 को फरीदाबाद सेंट्रल पुलिस उपायुक्त की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने यह फैसला दिया है। इस रिपोर्ट में पुलिस कार्रवाई की बाबत जानकारी थी जबकि मृतकों के परिजनों को वित्तीय सहायता की बाबत इसमें कोई जिक्र नहीं था। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने इस बाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पीड़ित परिजनों की ओर से पैरवी की थी। शर्मा का कहना है कि सीवर की सफाई मशीनों से ही होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को न सिर्फ सरकारी संस्थान बल्कि निजी संस्थानों के लिए भी अनिवार्यता के आदेश जारी करने चाहिए।

विधायक नीरज शर्मा

गर्भवती महिला से बदसलूकी मामले में एनएचआरसी ने गहलोत सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब

https://udaipurkiran.in/hindi/nhrc-seeks-reply-from-gehlot-government-in-four-weeks-in-case-of-misbehavior-with-pregnant-woman/

jaipur, 05 सितंबर . राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में एक गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में State government और Police विभाग को नोटिस भेजा है. आयोग ने मुख्य सचिव और Police महानिदेशक से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.एनएचआरसी ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद जांच की स्थिति और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने को भी कहा है.

सोशल Media पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने के बाद Rajasthan Police ने कहा था कि प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में 21 वर्षीय एक आदिवासी महिला को उसके पति द्वारा निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया है. आयोग ने कहा है कि अगर Media में प्रकाशित खबर सही पाई जाती है, तो यह पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मुद्दे को उठाती है.

एनएचआरसी ने Rajasthan के मुख्य सचिव और Police महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट में मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद जांच की स्थिति और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने को भी कहा गया है. आयोग ने कहा कि वह महिला की स्वास्थ्य स्थिति के साथ-साथ इस बारे में भी जानना चाहता है कि प्रशासन ने उसे किसी प्रकार का मुआवजा दिया है या नहीं.

HINDUSTAN SMART, Online, 6.9.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

गर्भवती महिला से बदसलूकी मामले में एनएचआरसी ने गहलोत सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2023/9/5/NHRC-handed-over-notice-to-Gehlot-government.php

जयपुर, 05 सितंबर (हि.स.)। राष्ट्री य मा नवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में एक गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में राज्य सरका र और पुलिस विभाग को नोटिस भेजा है। आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।एनएचआरसी ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद जांच की स्थिति और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने को भी कहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान पुलिस ने कहा था कि प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में 21 वर्षीय एक एनएचआरसी ने राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद जांच की स्थिति और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने को भी कहा गया है। आयोग ने कहा कि वह महिला की स्वास्थ्य स्थिति के साथ-साथ इस बारे में भी जानना चाहता है कि प्रशासन ने उसे किसी प्रकार का मुआवजा दिया है या नहीं।

JANSATTA, Online, 6.9.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

गर्भवती को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, NHRC ने नोटिस जारी कर सरकार और DGP से मांगा जवाब, मचा हड़कंप

https://www.jansatta.com/crime-news-hindi/rajasthan-pregnant-woman-clothes-stripped-off-paraded-her-in-village/2992075/

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक गर्भवती महिला को पति और उसके परिवार के लोगों ने निर्वस्त्र कर घुमाया था। अब इस शर्मनाक हरकत पर राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्य सरकार और डीजीपी से जवाब मांगा ह

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक गर्भवती महिला को पति और परिवार के लोगों ने निर्वस्त्र कर घुमाया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। अब इस शर्मनाक हरकत पर राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्य सरकार और डी जीपी से जवाब मांगा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के गांव में एक गर्भवति महिला को उसके पति द्वारा कथित रूप से निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में राज्य सरकार और पुलिस विभाग को नोटिस भेजा है। यह जानकारी अधिका रियों ने सोमवार को

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ा वीडियो प्रसारित होने के बाद राजस्थान पुलिस ने कहा था कि प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में 21 साल की एक आदिवासी महिला को उसके पति ने कथित रूप से निर्वस्त्र कर घुमाया था। मीडिया में खबर सामने आने के बाद एनएचआरसी ने खुद की मामले का संज्ञान लिया।

महिला को पीटा

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 31 अगस्त को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक गर्भवति महिला को उसके परिवार के सदस्यों ने कथित रूप से पीटा और उसे निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया। बताया जा रहा है कि महिला के ससुराल वाले किसी और शख्स के साथ रहने के कारण पीड़िता से नाराज थे।

एनएचआरसी ने चार सप्ताह के भीतर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

आयोग ने कहा कि अगर मीडिया में प्रकाशित खबर सही पाई जाती है तो यह पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मुद्दे को उठाती है। एनएचआरसी ने कहा कि इस मामले में राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।आयोग के अनुसार, इस मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद जांच की स्थिति और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने को भी कहा गया है।